डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जुलाई, 2023, डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2023

| वर्ष 67 | अंक 03 | भोपाल | 1 जुलाई, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार

उप राष्ट्रपति श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में किया पुरस्कृत

इंदौर सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित

भोपाल : मध्यप्रदेश को जल संसाधन के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह देश का चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2022 है। उप राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और अपर मुख्य सचिव श्री एस.एन. मिश्र को नई दिल्ली विज्ञान भवन में प्रथम पुरस्कार के प्रशस्ति-पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल और श्री बिश्वेश्वर टुडु भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में 11 विभिन्न श्रेणी में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया।

इंदौर नगर निगम को जल आपूर्ति तथा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव और अपर आयुक्त श्री सिद्धार्थ जैन को प्रशस्ति-पत्र, ट्रॉफी और एक लाख 50 हजार रूपये नकद पुरस्कार से सम्मानित किया।

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं। विगत 18 वर्ष में प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर किये जाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जल प्रबंधन के हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है।

जल उपयोग दक्षता उन्नयन

प्रदेश में बांध से सीधे खेतों तक भूमिगत पाइप लाइन से जल पहुँचाने का नवाचार हुआ है। प्रदेश की मोहनपुरा एवं कुंडालिया परियोजना, जिसकी सिंचाई क्षमता 2 लाख 25 हज़ार हेक्टेयर है, जल उपयोग दक्षता उन्नयन के क्षेत्र में अनुकरणीय सिंचाई परियोजना के रूप में स्थापित हो चुकी है।

भोपाल दुग्ध संघ का "साँची ब्राँड" बना मध्यप्रदेश में नंबर वन

सर्वश्रेष्ठ साँची ब्राँड का मिला सम्मान

भोपाल : शुद्ध के लिये युद्ध वाक्य को चरितार्थ करते हुए भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के साँची ब्राँड को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के सम्मान से सम्मानित किया। इंदौर के होटल मेरियट में 15 जून 2023 को 18th वर्ल्ड एच.आर.डी. कांग्रेस द्वारा आयोजित एम्पलायर ब्रांडिंग अवार्ड 2023-24 अवार्ड फंक्शन में भोपाल दुग्ध संघ को यह सम्मान प्रदान किया गया।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओ.पी.एस. तिवारी ने बताया कि FSSAI द्वारा भी भोपाल दुग्ध संघ को A+ कैटेगिरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री गुलशन बामरा जी के प्रयासों के परिणाम है कि रक्षा विभाग के ऑडिट में भी भोपाल दुग्ध संघ को सफलता प्राप्त हुई है।

श्री तिवारी ने बताया कि प्रशासक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल एवं आयुक्त भोपाल संभाग श्री माल सिंह एवं प्रबंध संचालक एवं पीसीडीएफ श्री तरूण राठी ने इस सफलता के लिये दुग्ध संघ की टीम को बधाई एवं शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि टीम भावना से किए काम का परिणाम भी नेक होता है।

कृषि विभाग ने सोयाबीन की बुवाई के लिए कृषकों को दी सलाह

सोयाबीन की बुवाई पूर्व अंकुरण परीक्षण करे

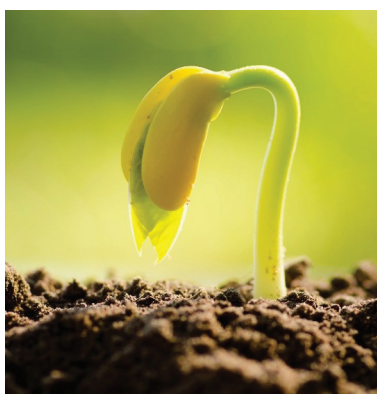

भोपाल :खरीफ फसल की बुवाई के पूर्व किसान भाई बीज का अंकुरण कर परीक्षण करें, सोयाबीन के 100 दानों का अंकुरण करें, जिसमें 75 से अधिक दाने का अंकुरण होने पर बीज बुवाई के योग्य है। कृषि विकास विभाग ने किसान भाईयों से आग्रह किया है कि खरीफ बुआई के पूर्व बीज का अंकुरण आवश्य करें तथा फसल के लिए उर्वरक व्यवस्था समिति या निजी व्यापारी से अपनी आवश्यकता अनुसार क्रय कर भंडारित करें, जिससे बुवाई के समय पर कृषकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसान भाइयों को गांव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा प्राकृतिक खेती को अपनाने के बारे में जानकारी दी जा रहीं होगी।

किसान भाई प्रायोगिक तौर पर प्राकृतिक खेती के घटक को सोयाबीन फसल पर प्रयोगकर परिणाम ले। आगामी फसलों के अधिक रकबे पर प्राकृतिक खेती करें। बीज उर्वरक एवं कीटनाशक क्रय से संबंधित संस्थाओं से पक्के बिल लें। फसल विविधीकरण अपनाकर एक से अधिक फसल लें ताकि अल्प, अधिक वर्षा होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। साथ ही बीज का चयन करते हुए नवीन किस्म 10 वर्ष के अन्दर का चयन करें।

फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लांच

किसान सम्मान निधि व्यापक व अभिनव योजना, टेक्नालॉजी से किसानों को लाभ - श्री तोमर

ऐप से दूरदराज के किसान घर बैठे भी बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के फेस स्कैन कर ई-केवाईसी कर सकते हैं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का पीएम-किसान मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लांच किया। आधुनिक टेक्नालॉजी के बेहतरीन उदाहरण इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनकर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता हैं। भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों हेतु ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।

कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह से देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित हजारों किसानों के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में वर्चुअल जुड़े थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भारत सरकार की बहुत ही व्यापक एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसी का परिणाम है कि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के बाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं। यह प्लेटफार्म जितना परिमार्जित होगा, वह पीएम-किसान के काम तो आएगा ही और किसानों को कभी भी कोई लाभ देना हो, तब भी केंद्र व राज्य सरकारों के पास पूरा डेटा उपलब्ध होगा जिससे कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकेगी।

श्री तोमर ने कहा कि पीएम-किसान एक अभिनव योजना है जिसका लाभ बिना किसी बिचौलियों के केंद्र सरकार किसानों को दे पा रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों को टेक्नालॉजी की मदद से ही लाभ देना संभव हो पाया है। इस पूरी योजना के क्रियान्वयन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है जो बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत सरकार ने टेक्नालॉजी का उपयोग करके यह जो ऐप बनाया है उससे काम काफी सरल हो गया है। भारत सरकार ने सभी आवश्यक सुविधाएं राज्यों को उपलब्ध करा दी हैं,

अब राज्य ज्यादा तेजी से काम करेंगे तो सभी हितग्राहियों तक हम पहुंच जाएंगे और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार यह आग्रह करते रहे हैं कि योजना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है तो हम सेचुरेशन पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस दिशा में काम चल रहा है जिसे शीघ्र पूर्ण करने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी पात्र किसानों को योजना की 14वीं किस्त मिल सकेंगी। श्री तोमर ने अनुरोध किया कि इस संबंध में सभी राज्य सरकारें प्रवृत्त हों।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि टेक्नालॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और इस ऐप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा ने भी अपने विचार रखें। अतिरिक्त सचिव श्री प्रमोद कुमार मेहरदा ने ऐप की विशेषताएं बताई। कार्यक्रम का संचालन विभागीय सलाहकार श्री मनोज कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों ने योजना व ऐप के लाभ से संबंधित अपने अनुभव भी साझा किए। युवाओं के जरिये भी ऐप से अधिकाधिक किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें सहायक युवाओं को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है जिसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। 2.42 लाख करोड़ रु., 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं जिनमें 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोविड के समय लॉकडाउन के दौरान भी किसानों के लिए पीएम किसान योजना एक मजबूत साथी साबित हुई थी। योजना ने किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया व कठिन समय में आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब पीएम किसान पोर्टल पर आधार सत्यापन व बैंक खाता विवरण अपडेशन से संबंधित कठिनाइयों का डिजिटल पब्लिक गुड्स के प्रभावी उपयोग से समाधान हो गया।

पहली बार देखा गया है कि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरिये सफलतापूर्वक किया गया, जो अपने-आप में एक कीर्तिमान है। नया ऐप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। ऐप किसानों को योजना व पीएम किसान खातों से संबंधित बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। इसमें नो यूजर स्टेटस माड्यूल उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने व ई-केवाईसी का स्टेटस जान सकते है। विभाग ने लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर आधार से जुड़े बैंक खाते खोलने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है और सीएससी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से ग्राम-स्तरीय ई-केवाईसी शिविर आयोजित करने को कहा है।

उपज बढ़ाने नई तकनीकी को अपनाएं किसान भाई - उप संचालक कृषि

भोपाल : जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली बेमौसम बरसात, सूखा और कम या अतिवर्षा में खेती-किसानी के लिये सबसे बड़ी चुनौतीयों खड़ी हो गई है। उपसंचालक कृषि श्री मती सुमन प्रसाद ने बताया की कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाईयों को इस समस्या से उबरने के लिये फसल की बुवाई के कूंड और नाली विधी साथ ही झुका हुआ प्लेट प्लॉन्टर" विधि अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस विधि के उपयोग से फसल उपज 20-25 प्रतिशत अधिक प्राप्त हो रही हैं, साथ ही खेती की लागत भी घटती है। क्योंकि इस तकनीक से खरतपवार एवं कीटों का प्रकोप कम होता है। इतना ही नहीं, कूंड और नाली विधी की बदौलत खेतो में बारिश के पानी का ज्यादा संरक्षण भी होता है और मिट्टी की नमी ज्यादा टिकाऊ होती है। अतिवर्षा से जल निकास नालियों के सहारे से हो जाता है। भारत में यह विधी सबसे पहले 1991 में गंगा के मैदानी इलाकों में धान एवं गेहूँ के लिये अपनाई गई। जिले में खरीफ में मध्यम से भारी मृदा में सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द और अरहर आदि फसलों के लिए उपयोगी यंत्र विधी है।

नर्मदा पलान्ट रेज्ड बेड प्लॉन्टर इस पद्धति से खाद्यान्न फसल एवं उद्यानिकी फसलो की बुवाई 2 या 3 कतारों में बेड पर की जाती है तथा बेड के दोनों तरफ बनी नालियों से सिचांई का पानी दिया जाता है। बेड की चौड़ाई 70 से 90 से.मी. तथा उचाई 15 से 30 से.मी. होती है। इस पद्धति में खुले पानी की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत पानी की बचत होती है। एक फसल के बाद दूसरी फसल की बुवाई के लिए रेज्ड बेड को पुनः आकार देकर उसका उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति में बीज में 10 प्रतिशत खाद में 20 प्रतिशत की बचत होने के साथ-साथ समय एवं मजदूरी में भी बचत होती है। इसे 45 हॉर्सपॉवर के ट्रेक्टर से चलाया जाता है इसकी क्षमता 0.20 हेक्टेयर घण्टा होती है। मल्टीकाप प्लान्टर बहु फसली बोनी मशीन द्वारा मक्का मटर, मूंगफली, सूरजमुखी - सोयाबीन, चना और कपास के बीज बोने के लिये प्रयोग किया जाता है, उक्त बीजो का अंतर रखने के लिये कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी निश्चित रहती है। इस यंत्र से एक से अधिक फसलो की बुवाई एक ही समय में की जा सकती है।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती सुमन प्रसाद ने बताया कि भोपाल जिले की ग्राम पंचायतें मुगलियाछाप, मिसरोद सेमरा, भैरोपुरा रापडिया, खजूरियाकलां गांव के किसान भाईयों द्वारा लगभग 40 से अधिक रेज्ड बेड प्लान्टर विथ इंन्कलाइड प्लेट प्लान्टर एंड शेपर तथा 10 से 15 से अधिक मल्टीकाप प्लान्टर, रिजफरो प्लान्टर का उपयोग किया जा रहा है।

किसान भाईयों से अपील है कि इन यंत्रो का उपयोग करने वाले कृषकों से संम्पर्क कर इन्हें अधिक से अधिक क्षेत्रों में प्रयोग करें तथा अधिक जानकारी के लिए स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क करें। बदलते हुए मौसम को ध्यान में रखकर कृषकों को फसलों के बोने के तरीके एवं फसलों के चुनाव में बदलाव करने की आवश्यकता है, इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ कृषि यंत्रों को विकसित किया गया है, जिसका उपयोग कर किसान भाई विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी उपज ले सकते है।

वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 जारी

नई दिल्ली। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए "राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023" जारी की है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 का विमोचन श्री चंद्र प्रकाश गोयल, आईएफएस, वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। यह विमोचन भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) द्वारा देहरादून में आयोजित 'विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस' के अवसर पर किया गया था।

भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां वन प्रबंधन की वैज्ञानिक व्यवस्था है। उक्त कार्य योजना मुख्य साधन है जिसके माध्यम से भारत में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, जिसे पहली बार 2004 में और बाद में 2014 में दोबारा संशोधन के साथ अपनाया गया था, एकरूपता ला पाई और हमारे देश के विभिन्न वन प्रभागों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य किया।

भारत में वनों का प्रबंधन कई कारणों से किया जा रहा है जैसे पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना, प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना, मिट्टी के कटाव की जाँच करना और जलग्रहण क्षेत्रों का अनाच्छादन करना, टीलों के विस्तार की जाँच करना, लोगों की भागीदारी के साथ वृक्षों और वन आवरण को बढ़ाना, वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना आदि। भारत और दुनिया में वैज्ञानिक वन प्रबंधन लगातार नए दृष्टिकोण, नई तकनीकों और नवाचारों के साथ विकसित हो रहा है और वन प्रबंधन की अनिवार्यताओं तथा उन पर निर्भर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद को विकसित करना अनिवार्य हो गया है।

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 देश के विभिन्न वन प्रभागों के लिए कार्य योजना तैयार करने में राज्य के वन विभागों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगी। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 में वनों के सतत प्रबंधन के सिद्धांतों को शामिल करते हुए वन प्रबंधन योजना की अनिवार्यताओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें वन और वृक्षों के आवरण की सीमा और स्थिति शामिल है; वन्य जीवन, वन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति सहित जैव विविधता का रखरखाव, संरक्षण और वृद्धि, मिट्टी तथा जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, वन संसाधन उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक लाभों का रखरखाव एवं वृद्धि तथा उचित नीति, कानूनी सहायता, और संस्थागत ढांचा प्रदान करना।

पहली बार, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता-2023 में राज्य के वन विभागों को निरंतर डेटा संग्रह और एक केंद्रीकृत डेटाबेस में अपडेट करने के लिए निर्धारित किया गया है।

"भारतीय वन प्रबंधन मानक" जो इस कोड का एक हिस्सा है, प्रबंधन में एकरूपता लाने की कोशिश करते हुए हमारे देश में विविध वन पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखता है। सतत वन प्रबंधन के मानकों को भारतीय वन प्रबंधन मानक में संहिताबद्ध किया गया है, जो भारत में वैज्ञानिक वन प्रबंधन के दीर्घकालिक अनुभवों और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संकेतकों के अनुरूप है। भारतीय वन प्रबंधन मानक राज्य के वन विभागों को कार्य योजनाओं के निर्देशों के विरुद्ध प्रबंधन प्रथाओं की प्रभावशीलता को मापने में मदद करेगा।

सहकारी समितियों का आनलाइन पंजीयन शुरू

भोपाल : जिले में सहकारी समितियों का पंजीयन अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि समितियों के पंजीयन के लिए विभागीय ऑनलाईन पोर्टल http:icmis.mp.gov.in पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने के लिए आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑनलाईन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉग इन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने के लिए आधार से लिंक मोबाईल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा। प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जायेगा। अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करेगा।

आधार नंबर से वर्चुएल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा। विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।

मध्य प्रदेश सहकारिता नीति लाने वाला पहला प्रदेश - सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया

रोजगार बढ़ाने वाली सहकारी नीति को मंजूरी

नीति में सरकार और सहकारी समितियों के बीच साझेदारी (PCP) का मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया है

भोपाल : मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में वर्ष 2023 की सहकारी नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति में रोजगार तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नीति में सरकार और सहकारी समितियों के बीच साझेदारी (PCP) का मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सहकारी समितियां सरकारी निकायों के साथ तालमेल करके काम करेंगी।

राज्य सरकार की योजना सहकारी समितियों की मदद से प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने की है। स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, खनिज, कृषि उपकरण, जैविक उत्पाद आदि क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिला स्तर पर कोर समूह बनाए जाएंगे ताकि सहकारिता के क्षेत्र में निवेश के अवसरों को खंगाला जा सके। राज्य के सहकारिता मंत्री

अरविंद सिंह भदौरिया ने ट्वीट किया, 'मध्य प्रदेश सहकारिता नीति लाने वाला पहला प्रदेश बन गया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य ने विकास के क्षेत्र में एक नया पहलू जोड़ दिया है। मैं राज्य की जनता की ओर से मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं।'

मंत्री के मुताबिक नए क्षेत्रों में सहकारी समिति बनाकर रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा सहकारिता कानून में बदलाव लाया जाएगा ताकि सहकारी समितियों की आंतरिक और ढांचागत कमियों को दूर किया जा सके।

पशुधन रोगों के पूर्ण नियंत्रण और उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभाग कई कार्यक्रम लागू कर रहा है: श्री रुपाला

श्री परषोत्तम रूपाला ने पशुपालन और डेयरी विभाग की 9 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी

एएचडी किसानों के लिए 27.65 लाख से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए : श्री रूपाला

भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है: श्री परषोत्तम रूपाला

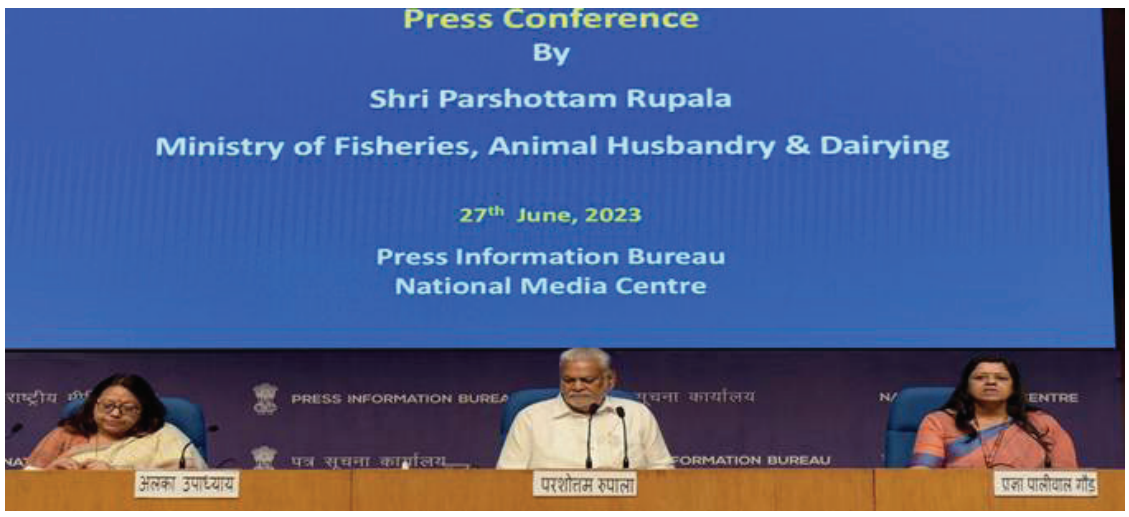

भारत के पास पशुधन और मुर्गी पालन के विशाल संसाधन है, जो ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुधन आजीविका कमाने काएक महत्वपूर्ण रूप ग्रहण करता है, यह आय में वृद्धि करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है। पशुपालन के माध्यम से कृषि में विविधता ग्रामीण आय में वृद्धि के प्रमुख चालकों में से एक है।

केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रति पशु उत्पादकता में सुधार के लिए पिछले नौ वर्षों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। उत्पादकता में वृद्धि से घरेलू बाजार और निर्यात बाजार के लिए अधिक दूध, मांस और पशुधन उत्पादों के उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विभाग प्रमुख पशुधन रोगों के पूर्ण नियंत्रण, उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रहा है। विभाग पशुधन क्षेत्र के माध्यम से विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने के सामान्य उद्देश्य से अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर तालमेल करने के प्रयास कर रहा है।

पशुपालन और डेयरी विभाग सभी हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह किसानों के दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकतम सहायता प्रदान करेगा।

विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ और पहल इस प्रकार हैं:

पशुधन क्षेत्र

पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। यह 2014-15 से 2020-21 के दौरान (स्थिर कीमतों पर) 7.93 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) (स्थिर कीमतों पर) 24.38 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 30.87 प्रतिशत (2020-21) हो गया है। पशुधन क्षेत्र का योगदान 2020-21 में कुल जीवीए का 6.2 प्रतिशत है।

पशुधन जनसंख्या

20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोजातीय (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक), 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.06 मिलियन सूअर और लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं।

डेयरी क्षेत्र

डेयरी सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है। पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 51.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2014-15 के दौरान 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 के दौरान 221.06 मिलियन टन पर पहुंच गई। दूध उत्पादन पिछले 8 वर्षों में 6.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है जबकि विश्व दूध उत्पादन प्रति वर्ष केवल 1.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम प्रति दिन है, जबकि 2021 के दौरान विश्व औसत 394 ग्राम प्रति दिन है।

अंडा एवं मांस उत्पादन

फूड एंड एग्रीकल्च्र ऑर्गनाइजेशन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस (एफएओएसटीएटी) उत्पादन डेटा (2020) के अनुसार, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। देश में अंडा उत्पादन 2014-15में 78.48बिलियन से बढ़कर2021-22 में 129.60बिलियन हो गया है। देश में अंडे का उत्पादन 7.4 प्रतिशतप्रति वर्ष की दर (सीएजीआर) पर बढ़ रहा है। 2021-22में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 95अंडे प्रति वर्ष है। देश में मांस उत्पादन 2014-15में 6.69मिलियन टन से बढ़कर 2021-22में 9.29मिलियन टन हो गया।

पशुपालन और डेयरी योजनाएँ

राष्ट्रीय गोकुल मिशन: स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए

राष्ट्रीय गोकुल मिशन की प्रमुख उपलब्धियाँ/कार्य

- **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम -** किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं देना:अब तक इसमें 5.71करोड़ पशुओं को शामिल किया गया है, 7.10करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3.74करोड़ किसानों को लाभ हुआ है।
- **देश में आईवीएफ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:** कार्यक्रम के तहत अब तक 19248 जीवनक्षम भ्रूण पैदा किए गए, 8661 जीवनक्षम भ्रूण स्थानांतरित किए गए और 1343 बछड़ों का जन्म हुआ।
- **सेक्स सॉर्टेड सीमेन या लिंग वर्गीकृत वीर्य तैयार करना:** देश में 90 प्रतिशत तक सटीकता के साथ केवल मादा बछिया के जन्मस के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन या लिंग वर्गीकृत वीर्य तैयार करना शुरू किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत, सुनिश्चित गर्भावस्था पर किसानों के लिए 750 रुपये या सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध है।
- **डीएनए आधारित जीनोमिक चयन:** राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने स्वदेशी नस्लों के विशिष्ट जानवरों के चयन के लिए इंडसचिप विकसित किया है और रेफरल आबादी तैयार करने के लिए चिप का उपयोग करके 25000 जानवरों का जीनोटाइप किया है। दुनिया में पहली बार, भैंसों केजीनोमिक चयन के लिए बफचिप विकसित किया गया है और अब तक, रेफरल आबादी बनाने के लिए 8000 भैंसों का जीनोटाइप किया गया है।
- **पशु की पहचान और पता लगाने की क्षमता:** 53.5 करोड़ जानवरों (मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर) की पहचान और पंजीकरण 12 अंकों के यूआईडी नंबर के साथ पॉलीयुरेथेन टैग का उपयोग करके की जा रही है।
- **संतान परीक्षण औरन स्लाचयन :** गिर, शैवाल देशी नस्ल के मवेशियों और मुर्रा, मेहसाणा देशी नस्ल की भैंसों के लिए संतान परीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन :** भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने एनडीडीबी के साथ एक डिजिटल मिशन, "राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम) शुरू किया है। इससे पशुओं की उर्वरता में सुधार करने, पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने, गुणवत्तापूर्ण पशुधन और घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए पशुधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **नस्ल वृद्धि फार्म :** इस योजना के तहत नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत (प्रति फार्म 2 करोड़ रुपये तक) की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब तकडीएएचडी ने 76 आवेदन स्वीकृत किए हैं और एनडीडीबी को सब्सिडी के रूप में 14.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम : किसानों को उपभोक्ता से जोड़ने वाले शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और उसे मजबूत करना। वर्ष 2014-15 से 2022-23 (20.06.2023) तक 28 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में 3015.35करोड़ रुपये (केन्द्रीय हिस्सेदारी 2297.25करोड़ रुपये) की कुल लागत के साथ 185परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। योजना के तहत 20.06.2023 तक मंजूर नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल 1769.29करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मंजूर परियोजनाओं के अंतर्गत 1314.42 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

डेयरी कार्यों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग करना : गंभीर प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट से निपटने के लिए डेयरी कार्यों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को आसान कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके सहायता करना।वर्ष 2020-21 से 30.04.2023 तक, एनडीडीबी ने देश भर में 60दुग्ध संघों के लिए 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 37,008.89 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के विरुद्ध 513.62करोड़ रुपये की रियायती ब्याज सहायता राशि की मंजूरी दे दी और 373.30करोड़ रुपये (नियमित रियायती ब्याज दर के रूप में 201.45करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज अनुदान राशि के रूप में 171.85करोड़ रुपये)जारी किए।

डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि (डीआईडीएफ): दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य वर्धित उत्पाद सुविधाओं आदि घटकों के लिए दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे का निर्माण/आधुनिकीकरण करना। डीआईडीएफ के तहत 31.05.2023 तक 6776.86 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 37 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और 4575.73 करोड़ रुपये के ऋण के मुकाबले 2353.20 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। रियायती ब्याजि दर के रूप में नाबार्ड को 88.11 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन : योजना में मुख्य रूप से रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास; प्रति पशु उर्वरता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, पहली बार, केन्द्रत सरकार व्यक्तियों, एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ, सेक्शन 8 कंपनियों, एफसीओ को हैचरी और ब्रूडर मदर इकाइयों के साथ पोल्ट्री फार्म स्थापित करने, भेड़ने और बकरी की नस्लों की वृद्धि, फार्म, सूअर पालन फार्म और चारा एवं चारा इकाइयों के लिए सीधे 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब तक, डीएएचडी ने 661 आवेदन स्वीकृत किए हैं और 236 लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 50.96 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

रोजगार सहायकों के जीवन से अनिश्चितताएँ खत्म होंगी : मुख्यमंत्री

रोजगार सहायकों को मिलेगा 18 हजार रू. मानदेय

अवकाश सहित सेवा संबंधी कार्यों में भी मिलेंगी अनेक सुविधाएँ

प्रांतीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणाएँ

भोपाल :मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कार्य कर रहे रोजगार सहायकों के हित में आज महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब रोजगार सहायकों को मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणाएँ

1. वर्तमान में रोजगार सहायकों को मिल रहे मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसे दोगुना किया जाएगा। वर्तमान में 9,000 मासिक मानदेय के स्थान पर 18,000 मानदेय देने की व्यवस्था की जाएगी।
2. अब रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी। विभागीय जाँच/ अन्य जाँच आदि के पश्चात, आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कार्यवाही होगी।
3. सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश आदि की सुविधा भी मिलेगी।
4. मातृत्व अवकाश के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।
5. पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।
6. रोजगार सहायकों को भविष्य में स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिवों के समान ही माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम बनाए जाएंगे।

योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं रोजगार सहायक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज शाम रोजगार सहायकों के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सहायकों की विशेष भूमिका है। कोरोना काल में भी आम जनता और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को राहत देने में रोजगार सहायकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। एक समय मनरेगा से संबंधित कार्य के लिए दायित्व निभाने वाले रोजगार सहायकों ने मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करने के बाद राशन कार्ड बनवाने, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड बनवाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक किया है। रोजगार सहायकों ने कम्प्यूटर सीखा और उसे चलाने में भी दक्ष बने। अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में कम्प्यूटर, लेपटॉप की सहायता लेनी होती है, फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का कार्य रोजगार सहायकों ने किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिंदगी से अनिश्चितता खत्म करना आवश्यक है। रोजगार सहायक मेरे लिए विशेष हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिस तरह रामेश्वरम से लंका तक सेतु बंध बनाए गए थे आज रोजगार सहायक भी नल और नील जैसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। सेतु निर्माण में गिलहरियों ने भी योगदान दिया था। ऐसे कार्यों में योगदान देने वाला प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है।

रोजगार सहायकों ने विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लिया

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा रोजगार सहायकों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएँ किये जाने पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद समस्त रोजगार सहायकों ने एक साथ प्रसन्न स्वर से मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया और प्रदेश के विकास में समर्पित भाव से सहयोग करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री रमेशचन्द्र शर्मा, मध्यप्रदेश रोजगार सहायक संगठन के अध्यक्ष श्री रोशन सिंह परमार, श्री संजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव उपस्थित थे।

बहिन बेटियों का मान सम्मान और शान कभी कम नहीं होने दूंगा : श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना को बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान बताते हुए वचन दिया है कि वे प्रदेश की बहन-बेटियों का मान-सम्मान और शान कभी भी कम नही होने देंगे। उन्होंने 21 वर्ष की बहनों के भी आवेदन शीघ्र भरवाए जाने और बासोदा के उदयपुर मंदिर का कॉरीडोर बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान बुधवार को गंजबासोदा में 150 बिस्तर के अस्पताल के भूमि-पूजन सहित 142 करोड़ 57 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लाड़ली बहना सम्मेलन और मुख्यमंत्री भू-अधिकार पत्रों के वितरण कार्यक्रम में बहनों से संवाद कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बहनों से संवाद की शुरूआत गीत "फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है" से की। मुख्यमंत्री ने बहनों से कहा कि मैं जानता हूँ कि आपके साथ वर्षों तक न्याय नहीं हुआ है और मैं सगे भाई के रूप में मुख्यमंत्री बनते ही बहनों की जिंदगी बदलने में लग गया हूँ। उन्होंने दोहराया कि लाड़ली बहनों को एक हजार रुपए देने से योजना शुरू की है और जैसे-जैसे पैसों का इंतजाम होगा, मैं ढाई सौ रुपए के मान से राशि बढ़ा कर तीन हजार रुपए तक ले जाकर बहनों की जिंदगी बदलने के मिशन को पूरा करूँगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने आज ही अखबारों में खबर पढ़ी है कि एक पति ने अपनी पत्नी को बेटियाँ होने पर दुख दिया। यह भेद-भाव ठीक नहीं है। बेटे और बेटियों को समान नजर से देखने, एक समान व्यवहार के लिए ही लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाएँ बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने सभी का आहवान किया कि वे बेटे-बेटियों में भेद नहीं करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन-बेटियों के सशक्तिकरण के लिए ही उन्होंने स्थानीय निकाय में 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किए हैं। पुलिस में 30 प्रतिशत और अन्य नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। आज महिलाएँ चूल्हे-चौके से बाहर निकल कर सत्ता और विकास के कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि

संपत्ति की रजिस्ट्री बहनों के नाम से होने पर आज 45 प्रतिशत बहनें संपत्ति की मालिक बनी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब मकान के लिए बिना भूमि के नहीं रहेगा और हर आवासहीन को घर बनाने को जमीन दी जायेगी। कलेक्टर ने बताया कि विदिशा जिले में अब तक 2600 गरीबों को भू अधिकार पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे से समाज और घर परिवार में मान-सम्मान भी बढ़ता है और उनका प्रयास है कि आजीविका मिशन तथा स्व-सहायता समूह से जुड़ कर बहनों की मासिक आमदनी कम से कम 10 हजार हो जाये। प्रयास यह है कि किसी भी बहन की आँख में आँसू न हो और वे मजबूर नहीं मजबूत बनें। बहनें तय कर लें कि उन्हें गरीब नहीं रहना है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे बहनों की आजीविका के लिए स्व-सहायता समूह बनाए। मुख्यमंत्री ने महिला और बच्चों की योजनाओं के क्रियान्वयन में लाड़ली बहना सेना की बहिनों का साथ मांगा और कहा कि लाड़ली सेना की देख-रेख में योजनाएँ बेहतर तरीके से लागू हो पाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाई और बहिनें एक हो जाएं तो जिंदगी बदल जायेगी। बहन-बेटियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों की योजना बंद करने पर पूर्ववर्ती सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से कहा कि अब उनके तीरथ की व्यवस्था हवाई जहाज से की गई है। विदिशा जिले में सिंचाई, स्वास्थ्य, मार्ग आदि व्यवस्थाएँ उनकी ही सरकार में हुई हैं।

मुख्यमंत्री ने किसान-कल्याण निधि के तहत राशि 4 हजार रूपये की जगह अब 6 हजार रुपए किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि से गरीब किसानों को अब साल में 12 हजार रुपए मिलेंगे। अब प्रत्येक परिवार को विभिन्न योजनाओं से काफी धनराशि प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भांजे-भांजियों से कहा कि वे खूब मन लगाकर पढ़ें, स्कूल में 12वीं में टॉप करने वाले भांजे और भांजी को स्कूटी इसी सत्र से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियो को लेपटॉप के लिए 25 हजार रुपए की राशि जल्दी ही दिए जाने की घोषणा की।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।